


वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एयरलाइन आपरेटर जो राज्य के भीतर अवस्थित आरसीएस एयरपोर्ट से आरसीएस रूट पर आरसीएस फ्लाइट का संचालन करती है, को रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा एवियेशन टरबाईन फ्यूल के विक्रय पर संदेय कर से उस सीमा तक जिस तक कर की दर एक प्रतिशत से अधिक है इस शर्त पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि क्रय करने वाला एयरलाइन आपरेटर वाणिज्यिक कर विभाग की शासकीय वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसमें यथा उपबंधित रीति में प्ररूप मूपक-72 में एक घोषणा जनित करेगी और विक्रेता व्यवहारी को इस प्रकार जनित प्ररूप मूपक-72 की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगा।

टिप्पण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति आरसीएस एयरपोर्ट, आरसीएस फ्लाइट और आरसीएस रूट का वही अर्थ होगा जो उन्हें राष्ट्रीय नागर विमानन पालिसी, 2016 के अनुसरण में नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21.10.2016 को जारी "रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-उडान" में समनुदेशित किया गया है।

यह अधिसूचना, 20.10.2026 तक प्रवृत्त रहेगी।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-88]
राज्यपाल के आदेश से,


शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

**FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017**

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts, with immediate effect, from the tax payable on the sale of Aviation Turbine Fuel at RCS Airports located within the State, by a registered dealer to the airline operator which operates RCS Flights on RCS Routes to the extent rate of tax exceeds 1%, on the condition that the purchasing airline operator shall generate a declaration in Form VAT-72 electronically through the official website of the Commercial Taxes Department in the manner as provided therein and furnish a duly signed copy of Form VAT-72 so generated to the selling dealer.

Note: For the purpose of this notification, expression RCS Airport, RCS Flight and RCS Route shall have the same meaning as assigned to them in the "Regional Connectivity Scheme-UDAN" issued by the Ministry of Civil Aviation, Government of India on 21.10.2016 in pursuance of the National Civil Aviation Policy, 2016.

This notification shall remain in force upto 20.10.2026.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-88]

By order of the Governor,



(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government